

सं० सं० 14 / एम 11-3 / 16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारिनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 6.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि |
|---------|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | मुनेन्द्र कुमार लाल पिता—योगेन्द्र लाल ग्राम—भरहुल्ली पो०—कोड़ा थाना—सिंघवारा जिला—दरभंगा सी.भी.नं०—9525 / 16 | हृदय रोग | ₹ 85,000 /—(पचासी हजार) स्वीकृत। |
| 2 | सीता देवी पति—दुर्गा सिंह ग्राम—रौनीया पो०—बारा थाना—भगवानगंज जिला—पटना सी.भी.नं०—15174 / 16 | हृदय रोग | ₹ 1,25,000 /—(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत। |
| 3 | राधा पिता—मुकेश तिवारी ग्राम—तिवारी खरेया पो०—करवतही बाजार थाना—गोपालपुर जिला—गोपालगंज यू.एचआईडी—101798040 | हृदय रोग | ₹ 50,000 /—(पचास हजार) स्वीकृत। |
| 4 | शंभु सिंह पिता—स्व. सूर्य सिंह ग्राम—सावठ पो०—थाना—दुर्गावती जिला—भैभुआ, कैमुर सी.भी.नं०—15414 / 14 / 2016 | हृदय रोग | ₹ 1,25,000 /—(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत। |
| | | | कुल ₹ 3,85,000 /— |

31/10/16
14/7/16

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,85,000/-(तीन लाख पचासी हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 387900...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584258, खाता धारक का नाम- AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतस्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 387900...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/—

निदेशक प्रमुख(प्रशासन)

ज्ञापांक 1001(14)

पटना, दिनांक 15.07.16

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21/7/16